नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर–6, नौएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः– नौएडा/अ0मु0का0अ0(एस0पी0)/2024/व0प्र0(जल-बा0सं0) 205 दिनांक : 21/10/2024

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 23.09.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में हिन्डन एवं यमुना नदी के मध्य विकसित नौएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र में रिवर फ्रन्ट डवलपमेन्ट के अन्तर्गत हिण्डन फ्लड प्लेन डवलपमेन्ट योजना हेतु हिन्डन रिवर में पिछले 100 वर्ष, 50 वर्ष एवं 25 वर्ष में आयी बाढ़ का अध्ययन, रिवर का कोर्स बदलने के परिणाम, embankment की लोकेशन के अध्ययन हेतु श्री अभिष्ट कुसुम गुप्ता, पर्यावरणविद् के प्रस्ताव का अध्ययन एवं स्थल निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बैठक आहूत की गई, जिसमे निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1. श्रीमती मीना भार्गव, महाप्रबन्धक (नियोजन)
2. श्री आर0 पी0 सिंह, महाप्रबन्धक (जल)
3. श्री विजय रावल, उप महाप्रबन्धक (सिविल)
4. श्री देवेन्द्र निगम वरिष्ठ प्रबन्धक (जल–बा0सं0)
5. श्री प्रताप सिंह प्रबन्धक (जल–बा0सं0)
6. श्री अभिष्ट कुसुम गुप्ता, पर्यावरणविद्
7. सुश्री समन्वया रौत्रे, अधिवक्ता

बैठक में निम्न प्रस्तावित बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया–

1. हिण्डन रिवर फ्रन्ट डवलपमैन्ट हेतु पूर्व में प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचार विमर्श उपरान्त संज्ञानित हुआ कि नौएडा क्षेत्र में हिण्डन के प्रवेश से यमुना नदी में मिलने तक नौएडा प्राधिकरण एवं ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण का क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि हिन्डन रिवर के फ्लड प्लेन एरिया में भवन निर्माण आदि की गतिविधियां चल रही हैं, जिसके कारण राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग एवं जिला प्रशासन का प्रतिनिधित्व कार्यवाही में आवश्यक है।

   <u>अपेक्षित कार्यवाही–जिला प्रशासन, नौएडा/गाजियाबाद एवं सिंचाई विभाग, गाजियाबाद/ओखला नई, दिल्ली</u>

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नौएडा एवं गाजियाबाद को भी प्रस्तावित कार्ययोजना में शामिल किया जाये।

   <u>अपेक्षित कार्यवाही–उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नौएडा।</u>

3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग श्री मुकेश वैश्य से दूरभाष पर वार्ता कर अग्रिम बैठक में सिंचाई विभाग हिण्डन नदी से सम्बन्धित विवरण सहित उपस्थित होने का आग्रह किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में उनकी नियुक्ति लखनऊ में है। उनके स्थान पर अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, ओखला, नई दिल्ली को प्रतिभाग किये जाने हेतु अवगत कराया जाये।

   <u>अपेक्षित कार्यवाही–सिंचाई विभाग ओखला, नई दिल्ली</u>

4. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में हिण्डन नदी की स्वच्छता तथा पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिगत नौएडा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–छज्जारसी, बहलोलपुर–चोटपुर की नालियों के पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित होने की रोकथाम हेतु ग्राम–बहलोलपुर–चोटपुर में एक सम्पवैल का निर्माण किये जाने हेतु रू0 198.75 लाख का प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर के समक्ष वरिष्ठ प्रबन्धक, जल–प्रथम के खण्ड द्वारा प्रेषित किया गया है। नौएडा क्षेत्र में बहलोल पुर एवं चोटपुर ग्राम की नालियों के पानी को एकत्रित करते हुए सैक्टर–69 में स्थित सीवेज पम्पिगं स्टेशन के माध्यम से सैक्टर–123 में स्थित एस0टी0पी0 में निस्तारित किया जायेगा।

   <u>अपेक्षित कार्यवाही–जल विभाग, नौएडा।</u>

5. सिविल विभाग यह सुनिश्चित करें कि ग्राम चोटपुर नौएडा आबादी का कोई भी Out fall हिण्डन नदी की तरफ न हो तथा आबादी क्षेत्र का Slope नौएडा परिक्षेत्र में ही रखा जाये।

   <u>अपेक्षित कार्यवाही–सिविल विभाग, नौएडा।</u>

(सतीश पाल)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

Scanned with OKEN Scanner